Regarding need to enhance medical insurance and facilities to the victims of road accidents- laid

श्री नरेश गणपत म्हस्के **(ठाणे) :** मैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए शुरू की गई कैशलेस ट्रीटमेंट की संवेदनशील योजना के लिए सरकार की सराहना करता हूँ । यह गोल्डन ऑवर में उपचार सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है । एम्स (AIIMS) और अन्य बड़े अस्पतालों के आंकड़े बताते हैं कि ब्रेन इंजरी (मस्तिष्क की चोट) और रीढ़ की हड्डी की चोटों में मरीज को खतरे से बाहर आने में औसतन 18 से 25 दिनों तक आईसीयू (ICU) की आवश्यकता होती है । वर्तमान योजना में निर्धारित 7 दिनों की अधिकतम सीमा ऐसे अति-गंभीर मामलों में अपर्याप्त सिद्ध हो रही है ।7 दिन बीतते ही गरीब परिवार के लिए निजी अस्पतालों का भारी खर्च उठाना असंभव हो जाता है, जिससे मरीज की जान फिर जोखिम में पड़ जाती है और योजना का मूल उद्देश्य अधूरा रह जाता है । अतः मैं सरकार से विनम्र आग्रह करता हूँ कि इस योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए तत्काल कुछ सुधार किए जाएं । सर्वप्रथम, मस्तिष्क और रीढ़ की गंभीर चोटों की प्रकृति को देखते हुए 7 दिनों की आईसीयू समय-सीमा को बढ़ाकर चिकित्सकीय आवश्यकतानुसार या कम से कम 25 दिन किया जाए और वर्तमान चिकित्सा महंगाई को देखते हुए कवरेज की राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाए ।